कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची

(पंचायत शाखा)

आदेश

नगर विकास विभाग झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या 1221 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन – 2018 के लिये मतदान हेतु दिनांक 16.04.2018 (सोमवार) को पूर्वा० 07:00 बजे से अप० 05:00 बजे तक की अवधि निर्धारित की गई है। इस क्रम में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 575 एवं निर्वाची पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका के अध्याय – 10 की कंडिका 10.13.1 में दिये गये निदेश के आलोक में नगरपालिका (आम) निर्वाचन – 2018 के निमित स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु राँची जिला के राँची नगर निगम, राँची/बुण्डू नगर पंचायत, बुण्डू क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों/विद्यालयों, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में योजित और मत देने के लिये योग्य व्यक्ति को उक्त निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये दिनांक 16.04.2018 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
उपायुक्त, राँची।

ज्ञापांक 398(ii)/ग्रा०पं० दिनांक 10.4.2018

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आदेश को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाय।

प्रतिलिपि : सभी कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
उपायुक्त, राँची।

कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची

(पंचायत शाखा)

आदेश

नगर विकास विभाग झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या 1221 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन – 2018 के लिये मतदान हेतु दिनांक 16.04.2018 (सोमवार) को पूर्वा० 07:00 बजे से अप० 05:00 बजे तक की अवधि निर्धारित की गई है। इस क्रम में नगरपालिका (आम एवं उप) निर्वाचन – 2018 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने तथा चुनाव की शुद्धता बनाये रखने के उद्देश्य से चुनाव के अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड राँची का पत्रांक 667 दिनांक 03.04.2018 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में राँची जिला के नगर निगम, राँची/बुण्डू नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मतदान के लिये नियत समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति के अगले दिन प्रातः 07:00 बजे तक की अवधि को ड्राई – डे (Dry-Day) घोषित किया जाता है।

उक्त अवधि में राँची जिला के राँची नगर निगम/बुण्डू नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत किसी भी होटल/रेस्तराँ/क्लब/भोजनालय/दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी और न ही वितरण होने दिया जायेगा। किसी भी प्रकार के Unlicensed Premises में शराब के भंडारण हेतु लगाये गये प्रतिबंधो का सख्ती से अनुपालन किया जायेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
उपायुक्त, राँची।

ज्ञापांक 399(ii)/ग्रा०पं० दिनांक 10.4.2018

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आदेश को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाय।

प्रतिलिपि : सभी कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
उपायुक्त, राँची।